कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291 2612086/265635-7 Fax 0291 2612086

क्रमांकः एफ.37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2023/1658 दिनांकः– 04/10/2023

–:कार्यवाही विवरण:–

जोन–6 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 11/2023 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क. सं.	जोन	प्रकरणों का विवरण	निर्णय
	जोन–6	भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 07/2023 वीं बैठक दिनांक 25.08.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरांत सर्व–सम्मति से गत बैठक दिनांक 25.08.2023 में लिए गए निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
1.	जोन–6	राजस्व ग्राम घडाव के खसरा संख्या 2/1, 5/1, 155/1, 17/2, 18 वगैरह, राजस्व ग्राम झींपासनी के खसरा संख्या 223/1 वगैरह व राजस्व ग्राम कडवड के खसरा संख्या 589 वगैरहा कुल रकबा 2181–07 बीघा अर्थात् 3531047.52 वर्गमीटर भूमि पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को संस्थागत प्रयोजनार्थ (फेस–3) हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा के संबंध में। आवेदकः–सहायक रजिस्ट्रार श्री अमरदीप शर्मा पुत्र श्री अवधेश शमा भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 11/2023 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण में निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया – 01. समिति द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा अवधि दिनांक 12.04.2026 तक अर्थात् छः वर्ष के लिए निर्धारित शुल्क लिया जाकर अवधि बढाये जाने का निर्णय लिया गया। 02. नियमानुसार लेय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्य स्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में संस्था द्वारा जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जावें। 03. विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/2020 दिनांक 29.11.2022 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति ली जावें। 04. भवन की Structural Safety हेतु एन.बी.सी. Part VI के प्रावधान की सुनिश्चितता हेतु शपथ–पत्र लिया जावें। साथ ही वास्तुविद् से शपथ–पत्र लिया जावें। 05. वर्षा जल संग्रहण, अपशिष्ठ जल का शुद्धिकरण/सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का प्रावधान करते हुए मानचित्र जारी किए जावें। 06. प्रकरण में सोलिड वेस्ट का ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेन्द्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिन्हित करते हुए मानचित्र जारी किए जावें।

			07. प्रकरण में वर्षा जल संग्रहण हेतु पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किये जाने से पूर्व भू–जल/संबंधित विभाग की अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जावें। 08. प्रस्तावित पार्किंग के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम–2020 के अनुसार आवेदक से शपथ–पत्र/अण्डरटेकिंग ली जावें। 09. विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्ड़ों की अनुपालना सुनिश्चित की जावें एवं अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावें। उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ–पत्र लिया जावें। 10. भूखण्ड़ का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर से अधिक होने के कारण अपशिष्ट जल का शुद्विकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 10.11.2 के अनुसार भूखण्ड़ पर प्रावधान किये जावें। उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें। 11. भवन में N.B.C. के अनुसार आकाशीय बिजली से बचाव हेतु प्रावधान किया जावें एवं इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जावें। 12. भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जावें। 13. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें, इस आशय का शपथ पत्र लिया जावें। 14. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम–2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 15. नियमानुसार अन्य शुल्क लिया जावें। उपरोक्त सभी बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त भवन निर्माण स्वीकृति एवं मानचित्र जारी किये जावें।

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)

क्रमांकः एफ.37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2023/ 1699-1703 **दिनांकः–** 04/10/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (जोन–6), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रोग्रामर/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)

परिशिष्ट–"1"

जोन–6 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 11/2023 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1.	श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ. हरीतिमा, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री श्रवण विश्नोई, उपायुक्त (जोन–6) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
6.	श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव
7.	श्री संजय माथुर, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	

उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)

क्रमांकः एफ.37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2023/1699-1703 दिनांकः– 04/10/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (जोन–6), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रोग्रामर/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)

परिशिष्ट–"1"

जोन–6 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 11/2023 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ. हरीतिमा, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री श्रवण विश्नोई, उपायुक्त (जोन–6) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
6.	श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव
7.	श्री संजय माथुर, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	

उप नगर नियोजक (प्रथम) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)